न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 25/2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 11/06/2020

निर्णय दिनांक : 04/01/2021

1. बद्री पुत्र लादू जाति माली, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. रूपनारायण पुत्र रामेश्वर, जाति माली, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. मोती पुत्र सुखा, जाति माली, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. हनुमान पुत्र सुखा, जाति माली, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. श्रीमान तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. गीतादेवी पत्नी रामेश्वर, जाति माली, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री चन्द्रभूषण सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री उदय सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 04/01/2021

– निर्णय –

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खतौनी संख्या 197 के आराजी खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है जिसे आगे चलकर विवादित आराजीयात से सम्बोधित किया गया हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 एक ही परिवार के सदस्य है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी एक ही परिवार के सदस्य है तथा दोनों परिवार आपस में भाई बन्ध ही हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजीयात पूर्व में एक साथ ही थी परन्तु काफी वर्षो पूर्व उन्होनें विभाजन कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1702 के पश्चिमी छोर से खसरा नम्बर 1702 के पूर्वी छोर तक एक समान चौड़ाई की आराजीयात जिसके उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ सडक है तथा जिसमें खसरा नम्बर 1702, 1703, 1704, 1705, 1708, 1643/2071, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714 सम्मिलित है प्रार्थीगण के परिवार को प्राप्त हुयी और प्रार्थीगण का परिवार लगभग पिछले 40–50 वर्षो से उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हैं। उपरोक्त पैरा संख्या 4 में वर्णिर्ध्त आराजीयात में से शेष खसरा नम्बर की आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज है, परन्तु खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर की आराजीयात त्रुटिवश अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जबकि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात है एवं इससे अप्रार्थीगण को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया और वह आराजीयात पर कब्जा कर बैचान करने की फिराक में है ऐसा करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर पर अब तक तो शान्तिपूर्वक काबिज काश्त थे लेकिन रिकार्ड में गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर अप्रार्थीगण ने दिनांक 03/06/2020 को जब प्रार्थीगण आराजीयात में सुड कर रहे थे तो आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह उक्त आराजीयात जो उनके नाम गलत दर्ज है का लाभ उठाकर उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करेगे तथा अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान कर देंगे, इसलिये प्रार्थीगण के यह प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

सहायक कलक्टर

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है में अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नही करें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 10/08/2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज सूची किता–7 पेश की जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम धमाणा खाता संख्या 197 सम्वत 2073 से 2076, जमाबन्दी ग्राम धमाणा खाता संख्या 46 सम्वत 2073 से 2076 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी संख्या 197 सम्वत 2073 से 2076 ग्राम धमाणा, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम धमाणा, फोटो कॉपी खतौनी बन्दोबस्त संख्या 115 सम्वत 2011 ल. 2029 वाके ग्राम धमाणा, फोटो कॉपी खतौनी संख्या 146 सम्वत 2073 से 2076 वाके ग्राम धमाणा, फोटो कॉपी मिलान क्षैत्रफल वाके ग्राम धमाणा,फोटो कॉपी खतोनी बन्दोबस्त संख्या 102, 112, 113, 123 वाके ग्राम धमाणा, फोटो कॉपी फर्द सीमाज्ञान हाल आराजी खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 वाके ग्राम धमाणा का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 197

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

की आराजी खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकब 0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद के अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण ने अपने वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजीयात को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 के नाम दर्ज होना बताते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं वही अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रथमतः तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता वही दुसरी ओर विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का यदि किसी प्रकार से हक व हिस्सा निहित है तो उसका मूल वाद के निस्तारण के समय ही हो पायेगा, लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये कानूनन रिकार्डेड खातेदार /अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं तथा प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से हक निहित है, तो उसका निर्धारण मूल वाद के विनिश्चय पर हो सकेगा, इसलिये वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, को पाबन्द किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा तथा पक्षकारान के हक–हकूक मूल वाद एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण पर स्वतः ही निर्धारण हो सकेगे ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में बनना पाये जाते है, फिर भी यदि अप्रार्थी संख्या 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) शूदू

ल 2 को यदि पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2 को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 2 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 197 के आराजी खसरा नम्बर 1703, 1705, 1714 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 04/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
दूदू (जयपुर)